| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 27/4/18 | प्रकरण [illegible] के आदेशानुसार [illegible]<br>अदालत के [illegible] योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली<br>लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय ....[illegible]....<br>पर दिनांक 11/6/18 ....को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) |
| 11/6/18 | पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वकील<br>वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर से<br>पर्चा कम्प्रोमाइज पेश की गई। पत्रावली का<br>अवलोकन किया गया। बहस वकील<br>वादी श्रवण किया गया। वाद प्रारम्भिक<br>रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।<br>अतः वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री<br>किया जाता है। विस्तृत डिक्री पृथक<br>से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।<br>कुर्रात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।<br>दिनांक 25/6/18 को पेश हो।<br>SDO |
| 25/6/18 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०<br>तहसील से कुर्रात रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।<br>कुर्रात रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना<br>गया। कोई एतराज वकील वादी ने नहीं<br>किया। मुताबिक कुर्रात रिपोर्ट वाद<br>वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।<br>विस्तृत डिक्री पृथक से लिखा जाकर<br>शामिल मिसल किया गया। पत्रावली के सम्पूर्ण<br>होकर रिकॉर्ड में जमा हो। सुनाया।<br>SDO |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/52/17

बउनवान

1. भारतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ तहसील कठूमर

--- वादी

बनाम

1. हरबानसिंह पुत्र चेतनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
2. नारायणसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
3. लेखराजसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ तहसील कठूमर
4. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री फतेहसिंह :- अधिवक्ता वादी

## निर्णय

दिनांक 25.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा 676/13489 677/1348, 763, 684, 744/1354,685 ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पावन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद तामील दिनांक 13.03.2018 को उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद वादी पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर व विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय वहस पर मनन कर दिनांक 11.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर से कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने विवादित आराजी वावत अपनी कुरेजात रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश कर दी है। कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

## आदेश

अतः दावा वादी तकसीम मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 677/1348/2 रकवा 0.12 हे. 685/2 रकवा 0.36 हे. 744/1354/1 रकवा 0.40 हे. किता 3 रकवा 0.88 हे. वादी भारतसिंह को खसरा नम्बर 677/1348/4 रकवा 0.12 हे. 684 रकवा 0.59 हे. 685/4 रकवा 0.13 हे. 763/2 रकवा 0.31 हे. 744/1354/2 रकवा 0.31 हे. किता 5 रकवा 1.46 हे. प्रतिवादी संख्या 3 लेखराज को खसरा नम्बर 676/1349 रकवा 0.09 हे. 677/1348/1 रकवा 0.03 हे. 763/1 रकवा 0.03 हे. 763/1 रकवा 0.18 हे. 685/1 रकवा 0.01 हे. रमेशचन्द पुत्र नानग्याराम को खसरा नम्बर 677/1348/3 रकवा 0.12 हे0 .763/3 रकवा 0.22 हे. 744/1354/3 रकवा 0.18 हे. 685/3 रकवा 0.36 हे. किता 4 रकवा 0.88 हे. वाके ग्राम बसेठ मुन्नीदेवी पत्नी चेतनसिंह, हरिओमसिंह, हरबानसिंह पि0 चेतनसिह प्रभाकंवर पुत्री चेतनसिंह जाति राजपूत को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन इन्द्राज व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे तथा मिन नम्बरों का राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज किया जावे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर ( अलवर )

आज दिनांक 25.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर ( अलवर )

Scanned by CamScanner

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/52/17

बउनवान

1. भारतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
तहसील कठूमर

——— डिक्रीदार

बनाम

1. हरबानसिंह पुत्र चेतनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
2. नारायणसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
3. लेखराजसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
तहसील कठूमर
4. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी तकसीम मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 677/1348/2 रकवा 0.12 हे. 685/2 रकवा 0.36 हे. 744/1354/1 रकवा 0.40 हे. किता 3 रकवा 0.88 हे. वादी भारतसिंह को खसरा नम्बर 677/1348/4 रकवा 0.12 हे. 684 रकवा 0.59 हे. 685/4 रकवा 0.13 हे. 763/2 रकवा 0.31 हे. 744/1354/2 रकवा 0.31 हे. किता 5 रकवा 1.46 हे. प्रतिवादी संख्या 3 लेखराज को खसरा नम्बर 676/1349 रकवा 0.09 हे. 677/1348/1 रकवा 0.03 हे. 763/1 रकवा 0.03 हे. 763/1 रकवा 0.18

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हे. 685/1 रकबा 0.01 हे. रमेशचन्द पुत्र नानग्याराम को खसरा नम्बर 677/1348/3 रकबा 0.12 हे0 .763/3 रकबा 0.22 हे. 744/1354/3 रकबा 0.18 हे. 685/3 रकबा 0.36 हे. किता 4 रकबा 0.88 हे. वाके ग्राम बसेठ मुन्नीदेवी पत्नी चेतनसिंह, हरिओमसिंह, हरबानसिंह पि0 चेतनसिह प्रभाकंवर पुत्री चेतनसिंह जाति राजपूत को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन इन्द्राज व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे तथा मिन नम्बरों का राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज किया जावे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 25.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

Scanned by CamScanner